"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 238] रायपुर, सोमवार, दिनांक 2 जून 2014— ज्येष्ठ 12, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 मई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-6/2013/1-7. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ एन्टी करप्शन ब्यूरो सेवा भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** -(1) ये नियम छत्तीसगढ़ एन्टी करप्शन ब्यूरो सेवा भर्ती नियम, 2014 कहलाएंगे ।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है इन नियमों की अनुसूची-एक के कॉलम (4) में उल्लिखित प्राधिकारी,
(ख) "परीक्षा" से अभिप्रेत है नियम 11 के अनुसार भर्ती के लिये आयोजित प्रतियोगी परीक्षा/चयन,
(ग) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन,
(घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल,
(ङ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना क्र. एफ 8-5/पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा यथा विरिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग,
(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची,

(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति,

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति,

(झ) "चयन समिति" से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन भर्ती या पदोन्नति के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति,

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़, एन्टी करप्शन ब्यूरो सेवा,

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य ।

3. **विस्तार तथा लागू होना** :- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे ।

4. **सेवा का गठन** :- सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :-

(क) वे व्यक्ति, इन जो नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलत: या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों,

(ख) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हो, और

(ग) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों ।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि** :- सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगे :

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय-समय पर, स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा ।

6. **भर्ती का तरीका** :- (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों द्वारा की जाएगी, अर्थात् :-

(क) प्रतियोगी परीक्षा/चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा,

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा,

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को स्थानापन्न हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये ।

(2) उप नियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी ।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित, सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन के परामर्श से अवधारित की जाएगी ।

(4) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श के पश्चात् सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे ।

(5) सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिए, मेरिट के आधार पर चयन हेतु मापदण्ड शासन द्वारा विहित किये जायेंगे । तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी के लिये आवश्यक होगा कि वह इस प्रयोजन के लिये, एक चयन समिति गठित करे, जो उपरोक्त के अतिरिक्त इन मापदण्डों से अन्यथा ऐसे अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगी।

(6) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क0 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा इस अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश (यथा संशोधित) भी लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति** :– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्ते** :– सीधी भर्ती/चयन हेतु पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होगी, अर्थात् :–

(एक) **आयु** :– (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को, अभ्यर्थी ने अनुसची–तीन के कॉलम (4) मे यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो (गैर–क्रीमिलेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो शासन के कर्मचारी है अथवा रह चुके हैं, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी :–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ का स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये,

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए । यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण -- शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण – शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के द्वारा कम से कम 6 (छः) माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 (तीन) वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो,

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें :–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(तीन) ऐसे भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित है),

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो,

(पॉच) ऐसे भूतपर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है,

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो,

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 2 (दो) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन छत्तीसगढ़ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ज) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 (अड़तीस) वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में 8 (आठ) वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

टीप :—(1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 8 (घ) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन हेतु प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगें । तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे ।

(2) किसी अन्य मामले में, ये आयु सीमायें शिथिल नहीं की जायेगी । विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी ।

(ट) उपरोक्त संवर्गो के किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट दिए जाने के उपरांत, शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी;

(ठ) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के समान्य प्रशाासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(दो) **शैक्षणिक अर्हतायें**—अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव होना चाहिये, जैसा कि अनुसूची—तीन में यथादर्शित है ।

(तीन) शुल्क-- (क) अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा ।

(ख) ऐसे अभ्यर्थी, जो चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होने के लिये अपेक्षित किये गये हों, को स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व चिकित्सा मण्डल के अध्यक्ष को, शासन द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा ।

9. **निरर्हता--** (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे चयन के लिये निरर्हित माना जा सकेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जैसी कि विहित की जाये, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष, जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो, से मुक्त घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में, अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकिंत्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेंगी ।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिये उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसी की आवश्यक समझी जाये, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है ।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले को न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से अवधारित न कर दिया जाये ।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा ।

(7) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा ।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा :–**

(1) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे परीक्षा/साक्षात्कार में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

(2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के पश्चात्, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी जाती है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी ।

11. **चयन/प्रतियोगिता परीक्षा/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती :–**

(1) नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर एक चयन समिति गठित करेगा, जिसमें तीन सदस्य सम्मिलित होंगे ।

(2) सेवा में भर्ती के लिये चयन ऐसे अंतरालों पर किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी शासन के परामर्श से, समय–समय पर अवधारित करे ।

(3) चयन समिति द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना तथा निर्देशों के अनुसार जैसा कि शासन द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी के परामर्श से समय–समय पर जारी किये जायें, आयोजित की जायेगी ।

(4) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र0 21 सन् 1994) के उपबंध तथा इस अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे ।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के लिये पात्र घोषित किया गया हो, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों यथास्थिति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो ।

(7) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे। यह आरक्षण, समस्तर एवं प्रभागवार होगा ।

(8) ऐसे मामलों में, जहॉ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और सक्षम प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(9) शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए, सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार आरक्षण होगा।

12. **चयन समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची :–**

(1) चयन समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमिलेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों, तथा महिला, निःशक्त व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रत्येक प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की एक सूची जो आरक्षण के फलस्वरूप ऐसे स्तर से अर्हित हों, मेरिट क्रम में तैयार करेगा, जिसकी नियुक्ति हेतु वैधता, शासन को नियुक्ति हेतु सूची के भेजे जाने की तारीख से एक वर्ष के लिये होगी ।

(2) उप–नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये नियुक्ति प्राधिकारी की वेबसाइट पर अधिसूचित की जायेगी ।

(3) चयन समिति उप–नियम (1) के अधीन तैयार की गई चयन सूची, नियुक्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा ।

(4) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की साामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(5) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का ऐसी जॉच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(6) चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकारी से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात, विधिमान्य कारण दर्शाते हुए, अधिकतम 6 माह की कालावधि के लिए चयन सूची की वैधता अवधि में वृद्धि कर सकेगा तथा चयन सूची की वैधता अवधि में 6 माह की वृद्धि होने पर, प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि में 6 माह की स्वाभाविक वृद्धि होना माना जायेगा ।

13. **परिवीक्षा** :- सेवा में नियुक्त किये गये प्रत्येक व्यक्ति को 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

14. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :-

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये अनुसूची-चार में यथा उल्लिखित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्यों को मिलाकर एक चयन समिति गठित की जायेगी:

परन्तु इस उप-नियम के अधीन, समिति के गठन के लिये, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे ।

(2) समिति की बैठक ऐसे अंतरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की न हो तथा समिति का कार्यकाल उसके निर्माण या उसके पुनर्गठन किये जाने से एक वर्ष, इसमें से जो पहले हो, वही होगा ।

(3) प्रत्येक पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार की जायेगी ।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उप-नियम (3) के अनुसार तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी ।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन- नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किये जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में जारी निर्देशों तथा शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन कर लिया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है ।

15. **पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें :– (1)** उप–नियम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की जानी है, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट है अथवा शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में) उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों ।

स्पष्टीकरण –पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति –संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) (एक) ऐसे मामलों में, जहाँ पदोन्नति वरिष्ठता सह–उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर की जानी हो अथवा अनुपयुक्त अभ्यर्थी को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहाँ सभी वर्गो के लिये विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान पदों तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(दो) ऐसे मामलों में, जहाँ पदोन्नति योग्यता सह–वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) के आधार पर की जानी हो, वहाँ विचारण का क्षेत्र कुल रिक्त पदों के दो गुने से चार अधिक होगा। यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शासकीय सेवकों की पर्याप्त संख्या, पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो, तो विचारण के क्षेत्र में कुल रिक्त पदों की संख्या के 7 गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लिखित विचारण क्षेत्र में आये आरक्षित संवर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी। समिति, उक्त विचारण के क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी।

(3) उप–नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, उनके नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।

(4) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अन्य प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश, पदोन्नति के लिये लागू होंगे।

16. **चयन सूची** :– (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 एवं 15 में विहित शर्तो को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो । यह सूची चयन सूची के तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी । इसके अतिरिक्त, उक्त कालावधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, एक आरक्षित सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से एक एवं अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई चयन सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से अनुसूची–चार के कॉलम (3) में उल्लिखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(3) चयन सूची सामान्यतया इसके प्रकाशन किये जाने की तारीख से कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसंबर तक विधिमान्य रहेगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य का निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति** :–(1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति उसी क्रम में की जायेगी जिस क्रम में उनके नाम छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार सूची में आये हों ।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो शासन की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

18. **परिवीक्षा** :– सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये प्रत्येक व्यक्ति को 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

19. **निर्वचन** :– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

20. **शिथिलीकरण** :– इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नही निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो ।

21. **निरसन तथा व्यावृत्ति** :– (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते है:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये उपबंधित किये जाने हेतु तथा शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार आरक्षण तथा अन्य शर्तो को प्रभावित नहीं करेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

अनुसूची–एक

(नियम 5 देखिये)

स. क.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पद की संख्या	नियुक्ति प्राधिकारी.	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पुलिस अधीक्षक	1	राज्य शासन	प्रथम श्रेणी	15600–39100 ग्रेड–पे 7600
2.	पुलिस उप अधीक्षक	8	–तदैव–	द्वितीय श्रेणी	15600–39100 ग्रेड–पे 5400
3.	जिला लोक अभियोजन अधिकारी	1	–तदैव–	द्वितीय श्रेणी	9300–34800 ग्रेड–पे 4400
4.	सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी	1	–तदैव–	द्वितीय श्रेणी	9300–34800 ग्रेड–पे 4400
5.	निरीक्षक	13	पुलिस महानिरीक्षक	तृतीय श्रेणी	9300–34800 ग्रेड–पे 4300
6.	उप–निरीक्षक	3	–तदैव–	तृतीय श्रेणी	9300–34800 ग्रेड–पे 4200
7.	प्रधान आरक्षक	1	पुलिस अधीक्षक	तृतीय श्रेणी	5200–20200 ग्रेड–पे 2200
8.	प्रधान आरक्षक (एम.टी.ओ.)	1	–तदैव–	तृतीय श्रेणी	5200–20200 ग्रेड–पे 2200
9.	आरक्षक	12	–तदैव–	तृतीय श्रेणी	5200–20200 ग्रेड–पे 1900
10.	आरक्षक (चालक)	1	–तदैव–	तृतीय श्रेणी	5200–20200 ग्रेड–पे 1900
11.	आरक्षक (कोर्ट मोहर्रिर)	2	–तदैव–	तृतीय श्रेणी	5200–20200 ग्रेड–पे 1900
12.	शीघ्रलेखक (हिन्दी)	3	पुलिस अधीक्षक ए.सी.बी.	तृतीय श्रेणी	5200–20200 ग्रेड–पे 2800
13.	स्टेनो टायपिस्ट	3	–तदैव–	तृतीय श्रेणी	5200–20200 ग्रेड–पे 1900
14.	सहायक ग्रेड–एक	3	–तदैव–	तृतीय श्रेणी	9300–34800 ग्रेड–पे 4200
15.	सहायक ग्रेड–दो	5	–तदैव–	तृतीय श्रेणी	5200–20200 ग्रेड–पे 2400
16.	सहायक ग्रेड–तीन	10	–तदैव–	तृतीय श्रेणी	5200–20200 ग्रेड–पे 1900
17.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	–तदैव–	तृतीय श्रेणी	5200–20200 ग्रेड–पे 1900
18.	वाहन चालक	3	–तदैव–	तृतीय श्रेणी	5200–20200 ग्रेड–पे 1900
19.	भृत्य	7	–तदैव–	चतुर्थ श्रेणी	4750–7440 ग्रेड–पे 1300
20.	फर्राश	2	–तदैव–	चतुर्थ श्रेणी	4750–7440 ग्रेड–पे 1300
21.	वाहन चालक (अंशकालिन)	1	–तदैव–	चतुर्थ श्रेणी	कलेक्टर दर
22.	स्वीपर (अंशकालिन)	4	–तदैव–	चतुर्थ श्रेणी	कलेक्टर दर

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिये)

स.क.	सेवा/पद का नाम	कुल पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियाँ
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (1) (क) देखिये)	पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख) देखिये)	अन्य सेवाओं से स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा (नियम 6 (1) (ग) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	पुलिस अधीक्षक	1	—	—	100% गृह (पुलिस) विभाग	
2.	पुलिस उप अधीक्षक	8	—	—	100% गृह (पुलिस) विभाग	
3.	जिला लोक अभियोजन अधिकारी	1	—	—	100% गृह (पुलिस) विभाग	
4.	सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी	1	—	—	100% गृह (पुलिस) विभाग	
5.	निरीक्षक	13	—	—	100% गृह (पुलिस) विभाग	
6	उप निरीक्षक	3	—	—	100% गृह (पुलिस) विभाग	
7.	प्रधान आरक्षक	1	—	—	100% गृह (पुलिस) विभाग	
8.	प्रधान आरक्षक (एम.टी.ओ.)	1	—	—	100% गृह (पुलिस) विभाग	
9.	आरक्षक	12	—	—	100% गृह (पुलिस) विभाग	
10.	आरक्षक (चालक)	1	—	—	100% गृह (पुलिस) विभाग	
11.	आरक्षक (कोर्ट मोहर्रिर)	2	—	—	100% गृह (पुलिस) विभाग	
12.	शीघ्रलेखक (हिन्दी)	3	50%	50%	—	
13.	स्टेनो टायपिस्ट	3	100%	—	—	
14.	सहायक ग्रेड–एक	3		100%	—	
15.	सहायक ग्रेड–दो	5		100%	—	
16.	सहायक ग्रेड–तीन	10	75%	25%	—	
17.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	100%	—	—	
18.	वाहन चालक	3	100%	—	—	
19.	भृत्य	7	100%	—	—	
20.	फर्राश	2	100%	—	—	
21.	वाहन चालक (अंशकालिन)	1	100%	—	—	
22.	स्वीपर, [illegible] (अंशकालिन)	4	100%	—	—	

अनुसूची–तीन
(नियम 8 देखिये)

स. क.	सेवा/पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी अर्हता	टिप्पणियाँ
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	शीघ्रलेखक ग्रेड–तीन	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी के लिये 35 वर्ष)	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था/शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) मुद्रलेखन परिषद् से:– (क) **शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिये–** हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)। (ख) **शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिये–** अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)। (ग) **द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिये–** ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट अंग्रेजी तथा हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।	

				(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री में 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।	
2.	स्टेनो टायपिस्ट	–तदैव–	–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यकम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 60 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा की जायेगी)। (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।	
3.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	21	–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यकम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय डिप्लोमा। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।	

4.	सहायक ग्रेड--तीन	18 वर्ष	–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र। (3) हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।	
5.	वाहन चालक	18 वर्ष	–तदैव–	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से 8 वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा वैध ड्राइविंग लायसेंस एवं वाहन चालन में 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिये।	
6.	भृत्य	18 वर्ष	–तदैव–	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से 8 वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।	
7.	फर्राश	18 वर्ष	–तदैव–	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से 8 वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।	
8.	स्वीपर	18 वर्ष	–तदैव–	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से 5 वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।	

अनुसूची–चार
(नियम 6 एवं 14 देखिये)

स. क्र.	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	न्यूनतम अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	स्टेनो टायपिस्ट	शीघ्रलेखक (हिन्दी)	5 वर्ष	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर नामांकित किये जायेंगे।
2.	सहायक ग्रेड–दो	सहायक ग्रेड–एक	5 वर्ष	–तदैव–
3.	सहायक ग्रेड–तीन	सहायक ग्रेड–दो	5 वर्ष	–तदैव–
4.	भृत्य	सहायक ग्रेड–तीन	5 वर्ष	–तदैव–

रायपुर, दिनांक 28 मई 2014

क्रमांक एफ 5-6/2013/1-7. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 5-6/2013/1-7, दिनांक 28-05-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

Naya Raipur, the 28th May 2014

NOTIFICATION

No. F 5-6/2013/1-7. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following ru.. relating to the recruitment to the Chhattisgarh Anti-Corruption Bureau Services, namely :-

1. **Short title and commencement** (1) These rules may be called the Chhattisgarh Anti-Corruption Bureau Services Recruitment Rules, 2014.
   (2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definition–** In these rules, unless the context otherwise requires,-

   (a) "**Appointing Authority**" means authority mentioned in column (4) of Schedule - I of these rules;
   (b) "**Examination**" means a competitive examination/selection conducted for the Recruitment as per Rule 11;
   (c) **"Government"** means the Government of Chhattisgarh;
   (d) "**Governor**" means the Governor of Chhattisgarh;
   (e) "**Other Backward Classes**" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F 8-5-XXV-4-84, dated – 26th, the December, 1984, as amended from time to time;
   (f) "**Schedule**" means a Schedule appended to these rules;
   (g) "**Scheduled Caste**" means the Scheduled Caste as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(h) "**Scheduled Tribe**" means the Scheduled Tribe as specified in relation to this State under Article 342 of the constitution of India;

(i) "**Selection Committee**" means the Selection Committee constituted by the Appointing Authority for the recruitment or promotion under these rule;

(j) "**Services**" means the Chhattisgarh Anti-Corruption Bureau Services;

(k) "**State**" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and application**. - Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of the service**. - The service shall consist of the following persons, namely :-

(a) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively or officiating the post specified in Schedule-I;

(b) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

(c) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, scale of pay, etc**.- The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment.**- (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :-

(a) by direct recruitment, through competitive examination;
(b) by promotion of the members of the service;
(c) by transfer/deputation of persons, who hold in a substantive capacity such post in such services, as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time, exceed the percentage as shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by such method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) if in the opinion of the Appointing Authority the exigencies of the service so require, he may after such consultation with the General Administration Department adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) The Government may prescribe criteria for the selection on the basis of merit for the posts to be filled through direct recruitment. However, it shall be necessary that a Selection Committee is constituted for this purpose by the Appointing Authority, which in addition to above may adopt such other reasonable criteria with the consent of the Government.

(6) At the time of recruitment to the service the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and instructions (as amended) issued, from time to time, under this Act by the General Administration Department of the Government shall also be applicable.

7. **Appointment to the service.** - After the commencement of these rules, appointment in the services shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.**- In order to be eligible for direct recruitment/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(I) Age - (a) The candidate must have attained the age as specified in column (4) of Schedule-III and not attained the age as specified in column (5) of said Schedule on the first day of January of the year in which the advertisement for the post is published;

(b) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 5 (Five) years, if candidate belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer);

(c) The upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of 10 (Ten) years for a women candidate in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh to the extent and subject to the conditions specified below:-

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government servant of Chhattisgarh should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for any other post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committee;

(iii) A candidate who is a "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation- The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service;

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years;

Explanation -The term "Ex-serviceman" denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 (six) months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 (three) years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service:-

(i) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-

(a) Completion of short term engagement;

(b) Full filling the condition of enrolment.

(iii) Ex-servicemen/Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short-service Regular Commissioned Officers);

(iv) Ex-servicemen /Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(v) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(vi) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.;

(vii) Ex-Servicemen invalidated out of service.

(f) The upper age limit shall also be relaxable up to a maximum of 2 (two) years for those candidates who are holding green card under the Family Welfare Programme;

(g) The upper age limit shall be relaxable up to 5 (five) years in respect of awarded superior caste partner of a couple awarded under the Chhattisgarh Inter-Caste Marriage Promotional Scheme under Untouchability Eradication Rules, 1984;

(h) The upper age limit shall be relaxed up to five years in respect of the Shaheed Rajiv Pande Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdeo awards holder candidates and National Young Award holder candidiates;

(i) The upper age limit shall be relaxed up to 38 (thirty eight) years of age in respect of candidates who are the employees of Chhattisgarh State Corporations/Boards;

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard Service rendered so by them subject to the limit of 8 (eight) years but in no case their age should exceed 38 years.

Note- (1) Candidates who are admitted to the examination/ selection under the concessions mentioned in Rule 8(d) (i) and (ii) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(2) In no other case shall these age limit be relaxed. The departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the examination/ selection.

(k) After providing relaxation on the basis of any one or more of the above category for entering in Government service the maximum age limit must not exceed 45 years;

(I) Apart from above in respect of age limit, the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall also be applicable.

(II) Educational qualifications:- The candidate must possess the educational qualifications and experience prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(III) Fee:- (A) The Candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

(B) The Candidate who has been required to appear before Medical Board must pay the fees as prescribed by the Government to the Chairman of the Medical Board before medical test.

9. **Disqualifications.-** (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means directly or indirectly may be held by the Appointing Authority to be disqualification from selection.

(2) Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so, then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule to such candidates.

(3) Any candidate shall not be appointed to any service or post until he/ she is declared mentally or physically fit and free from any mental or physical default which can hinder the fulfillment of duty of any service or post in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under a condition that, if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

(4) Any candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Authority satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.

(5) Any candidate who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

(6) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.

(7) Any candidate who is having more than two living offspring, out of which is born on 26th January, 2001 or thereafter, shall not be eligible for any service or post:

Provided that any candidate who is already having one living offspring and next delivery takes place on 26th January, 2001 or thereafter in which two or more than two children are born, shall not be disqualified for any service or post.

10. **Appointing Authority's decision about the eligibility of the candidate shall be final.**- (1) The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and no candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority for examination/interview, shall be allowed to be appear in the examination or interview.

(2) At any time of selection process or even after submission of selection list to the Government, if it comes to the notice of the Appointing Authority that a candidate has given wrong information or any misinformation is found in the documents submitted by him, then he will be disqualified and his selection/appointment shall be terminated by the Appointing Authority.

11. **Direct recruitment by Selection/Competitive Examination/ Interview.-** (1) The Appointing Authority shall , from time to time, constitute a Selection Committee consisting of three members.

(2) The selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the Appointing Authority from time to time, determine.

(3) Competitive examination shall be conducted by the Selection Committee as per such syllabus, examination plan and directions issued by the Government on consultation with the Appointing Authority, from time to time.

(4) At the time of recruitment to the service the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued under this Act by the General Administration Department of the Government from time to time shall be applicable.

(5)Those candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes who are declared eligible for appointment by the Appointing Authority keeping in view their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.

(6) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(7)There shall be 30 percent reserved posts for women candidates in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997. The reservation shall be Horizontal and Compartment-wise.

(8) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in, by direct recruitment and it is found in the opinion of the Competent Authority that there is a possibility of candidates belonging to Scheduled castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes may not be available in sufficient number, the Competent Authority may relax the condition of experience to the candidate of Schedule Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(9) Reservation for persons with disabilities shall be as per the directives of General Administration Department.

12. List of candidates recommended by the Selection Committee.- (1) The Selection Committee shall prepare a list, arranged in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards and the list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who may not be qualified by that standard, but are declared to be suitable by the Appointing Authority for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration and the list of candidates of each category belonging to women, person with disability/ex-servicemen in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards due to reservation, whose validity for appointment shall be one year from the date of sending the list to the Government.

(2) **List so prepared under sub-rule (1) shall be notified on the Appointing Authority's website for information to the general public.**

(3) The Selection Committee shall forward the selection list prepared under sub-rule (1) to the Appointing Authority for further action regarding appointment.

(4) Subject to the provisions of this rule and of the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(5) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(6) The Selection Committee after receiving the proposal from the Appointing Authority can extend the validity period of selection list for a maximum period of 6 months by stating valid reasons and on extending the validity period of select list for 6 months, the validity period of waiting list will automatically deem to be extended for 6 months.

13. Probation.- Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.

14. Appointment by promotion.- (1) There shall be a Committee consisting of the members to be nominated by the Appointing Authority as mentioned in Schedule-IV, for initial selection for promotion of the eligible candidates:

Provided that under this sub-rule, for constitution of the Committee, provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be applicable.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year and the tenure of Committee shall be for one year from its formation or its reconstitution, whichever occurs earlier.

(3) Every promotion shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(4) The procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time..

(5) Certification by the Appointing Authority - Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he had complied with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhede Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules by the Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

15. Conditions of eligibility for promotion.- (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Committee shall consider the cases of all persons who on first day of January of that year had completed such number of years of service as specified in column (4) of Schedule-IV (whether officiating or substantive) in the posts from which promotion is to be made as specified in column (2) of Schedule-IV or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation – Manner of computation for eligibility for promotion- The calculation of the period of qualifying service on the 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which public servant has joined the feeder cadre/part of service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of service/pay scale of the post.

(2) (i) In such cases where promotion is to be given on seniority cum fitness basis or on seniority basis leaving unsuitable candidate, there will be no grounds for consideration for all categories. Proposals of such number of public servants shall only be considered as per seniority that shall be sufficient for filling the existing posts in each category and number of expected vacant post due to retirement/promotion during 1 year.

(ii) In such cases where promotion is to be made on merit cum seniority basis, the area for consideration shall be four more than two times of the total vacant posts. If the sufficient number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Government Servants are not available for promotion then the area of consideration may extend upto 7 times of the total vacant posts and filling up of reserved post may be made from the persons belonging to reserved category above mentioned area of consideration. Committee shall consider filling the vacancies existing under each category in said area of consideration and the anticipated vacancies on account of retirement and promotion the course of 1 year.

(3) The name of public servant in requisite number for each cadre shall be considered for the purpose of inclusion of his name upto 25 percent of number of public servant included in the selection list or to that of two public servant, whichever is more to fill the unexpected vacancies during above said duration apart from expected vacancies under sub-rule (2).

(4) Promotion shall be made as per Reservation Roster prescribed by the Government.

(5) Other provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the order issued by the General Administration Department, from time to time, shall be applicable for promotion.

16. Select list. - (1) The Committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the conditions prescribed in rule 14 and 15 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotions during the course of period of 1 year from the date of preparation of the select list. In addition to this a reserve list, which shall consist one and minimum upto 25% in each category, shall be prepared to fill the unexpected vacancies during said period.

(2) The list as finally approve by the Appointing Authority shall be the select list for promotion of the member of the service from the post mentioned in column (2) of Schedule-IV to the posts mentioned in column (3) of Schedule-IV.

(3) The select list for promotion shall be ordinarily valid for 31st December of calendar year from the date of its publication:

Provided that in the event of grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority and he may, if he thinks fit, remove the name of such person from the select list.

17. Appointment to the service from the Selection list. (1) Appointment of the persons included in the select list shall be made to the posts borne on the cadre in the order in which their names appear in the list in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work, which in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

SCHEDULE-I

(See Rule 5)

.No.	Name of the posts included in the service	Number of post	Appointing Authority	Classification	Pay Scale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Superintendent of Police	1	State Government	Class-I	15600-39100 GP 7600
2	Deputy Superintendent of Police	8	--do--	Class-II	15600-39100 GP 5400
3	District Public Prosecution Officer	1	--do--	Class-II	9300-34800 GP 4400
4	Deputy District Public Prosecution Officer	1	--do--	Class-II	9300-34800 GP 4400
5	Inspector	13	Director General of police	Class-III	9300-34800 GP 4300
6	Sub-Inspector	3	--do--	Class-III	9300-34800 GP 4200
7	Head Constable	1	Superintendent of Police	Class-III	5200-20200 GP 2200
8	Head Constable [MTO]	1	-do--	Class-III	5200-20200 GP 2200
9	Constable	12	-do--	Class-III	5200-20200 GP 1900
10	Constable [Driver]	1	-do--	Class-III	5200-20200 GP 1900
11	Constable [Court Mohrer.]	2	-do--	Class-III	5200-20200 GP 1900
12	Stenographer (Hindi)	3	Superintendent of Police A.C.B.	Class-III	5200-20200 GP 2800
13	Steno-typist	3	-do--	Class-III	5200-20200 GP 1900
14	Assistant Grade -I	3	-do--	Class-III	9300-34800 GP 4200
15	Assistant Grade -II	5	-do--	Class-III	5200-20200 GP 2400
16	Assistant Grade-III	10	-do--	Class-III	5200-20200 GP 1900
17	Computer Operator	1	-do--	Class-III	5200-20200 GP 1900
18	Driver	3	-do--	Class-III	5200-20200 GP 1900
19	Peon	7	-do--	Class-IV	4750-7440 GP 1300
20	Farrash	2	-do--	Class-IV	4750-7440 GP 1300
21	Driver [part time]	1	-do--	Class-IV	Collector rate
22	Sweeper [part time]	4	-do--	Class-IV	Collector rate

18. **Probation.** - Every person recruited by promotion to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.

19. **Interpretation**.- If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

20. **Relaxation**.- Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules may apply in such manner, as may appear to it to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

21. **Repeal and saving.**- (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

(2) Nothing in these rules shall affect reservation to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.

SCHEDULE-II
(See Rule 6)

S.No	Name of Service/post	Number of total posts	Percentage of the number of posts to be filled			Remarks
			By direct recruitment [See rule 6(1) (a)]	By promotion [See rule 6(1) (b)]	By transfer / deputation from other services [See rule 6 (1) (c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Superintendent of Police	1	-		100% Home (Police) Department	
2	Deputy Superintendent of Police	8	-	-	100% Home (Police) Department	
3	District Public Prosecution Officer	1	-	-	100% Home (Police) Department	
4	Deputy District Public Prosecution Officer	1	-	-	100% Home (Police) Department	
5	Inspector	13	-	-	100% Home (Police) Department	
6	Sub -Inspector	3	-	-	100% Home (Police) Department	
7	Head Constable	1	-	-	100% Home (Police) Department	
8	Head Constable [MTO]	1	-	-	100% Home (Police) Department	.
9	Constable	12	-	-	100% Home (Police) Department	
10	Constable [Driver]	1	-	-	100% Home (Police) Department	
11	Constable [Court Mohrer.]	2	-	-	100% Home (Police) Department	
12	Stenographer (Hindi)	3	50%	50%	-	
13	Steno-typist	3	100%	-	-	
14	Assistant Grade -I	3		100%	.	
15	Assistant Grade-II	5		100%	-	
16	Assistant Grade-III	10	75%	25%	-	
17	Computer Operator	1	100%	-	-	
18	Driver	3	100%	-	-	
19	Peon	7	100%	-	-	
20	Farrash	2	100%	-	-	
21	Driver [part time]	1	100%	-	-	
22	Sweeper [part time]	4	100%	-	-	

SCHEDULE-III
(See Rule 8)

S.No.	Name of Service/Post	Minimum age limit	Maximum age limit	Minimum Educational/Technical Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Stenographer Grade-III	18 years	30 years (35 years for domicile resident of Chhattisgarh State)	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board. OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University. (2)From any recognized Board/ Institute/Stenography (Shorthand) Typing Council :- (a) For Stenographer (Hindi)- Passed Hindi Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (b)For Stenographer (English)- Passed English Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (c) For Bilingual Stenographer- Passed Certificate Course of Hindi and English Stenography (Shorthand) as specified in clause (a) and (b) above and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 10,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken).	
2	Steno-typist	-do-	-do-	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University. (2) 60 words per minute Speed in Hindi Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).	

SCHEDULE-IV
(See Rules 6 and 14)

S.No.	Name of the post from which promotion is to be made	Name of the post in to which promotion is to be made	Minimum experience	Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Steno- typist	Stenographer (Hindi)	5 years	To be nominated by the Appointing Authority from time to time
2	Assistant Grade-II	Assistant Grade -I	5 years	-do-
3	Assistant Grade-III	Assistant Grade-II	5 years	-do-
4	Peon	Assistant Grade-III	5 years	-do-

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.

				(3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 5,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken).	
3	Computer Operator	21	-do-	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board. OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University. OR Passed 10th Examination and three year diploma from any recognized institute. (2) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 8,000 (Key) depression per hour in Hindi and English (efficiency test for speed shall be taken).	
4	Assistant Grade-III	18 years	-do-	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University. (2) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute. (3) In Hindi Computer Typing 5,000 (Key) depression speed per hour (efficiency test for speed shall be taken).	
5	Driver	18 years	-do-	Should have passed 8th examination from any recognized Board and should have Valid Driving License and 5 years experience in driving.	
6	Peon	18 years	-do-	Should have passed 8th examination from any recognized Board.	
7	Farrash	18 years	-do-	Should have passed 8th examination from any recognized Board.	
8	Sweeper	18 years	-do-	Should have passed 5th examination from any recognized Board .	